# न्यायालय उपखण्डाधिकारी राजाखेडा जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री देवी सिंह (आर.ए.एस.)
मूल प्रार्थना–पत्र सं0 –01/19

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा

.....प्रार्थी

बनाम

1. प्रतापसिंह पुत्र श्री फतेसिंह कौम राजपूत निवासी सिंघावलीखुर्द तहसील राजाखेडा

.....अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीए

उपस्थिति :–

1. पैरोकार सरकारः– तहसीलदार राजाखेडा

## निर्णय

मूल प्रार्थना–पत्र सं. 01/19 दिनांक :– 8.2.2023

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीए 1955 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा ने पेशकर कथन किया कि तहसील राजाखेडा के राजस्व ग्राम सिंघावलीखुर्द में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1464/1348 रकबा 0–19 किस्म क0दो0 श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री फतेसिंह कौम राजपूत साकिन देह खातेदार रहिन सह भू.वि. बैंक शाखा राजाखेडा धौलपुर की खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबन्दी सम्बत 2070 से 2073 तक की नकल व खसरा गिरदावरी संलग्न है। उक्त आराजी खातेदारान के नाम कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। जिस पर खातेदार ने संपरिवर्तन कराये बिना कृषि भूमि को अन्य प्रयोजन/प्रयोग में नहीं ले सकता, इसके बावजूद उक्त खातेदारान द्वारा कृषि भूमि पर अवैध रूप से मिट्टी खनन कार्य किया जा रहा है तथा कृषि से अन्य व्यवसायिक प्रयोजन के प्रयोग में आराजी को काम में ले रहा है। उक्त व्यक्ति द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का उल्लघन किया है जिसके कारण उक्त भूमि को सिवायचक घोषित करने के लिए भूमिधारी की हैसियत से यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर उक्त आराजी खसरा नम्बर 1464/1348 रकबा 0–05 बिस्वा को सिवायचक(सरकारी) भूमि दर्ज रिकॉर्ड करने की आज्ञा फरमावें। प्रार्थना–पत्र का श्रवणाधिकार श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

पैरोकार सरकार न्यायालय में उपस्थित आये। अप्रार्थीगण को न्यायालय से नोटिस जारी किया जा चुका है। दिनांक 09.12.2019 को अप्रार्थी की विधिवत तामील उसकी पत्नी पर हो चुकी है। बावजूद तामील अप्रार्थी हाजिर नहीं। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पैरोकार सरकार की तरफ से साक्ष्य में पीडब्ल्यू 1 रविन्द्र सिंह भगौर पटवारी हल्का प0म0 सिंघावली कलां के बयान करवाये, अपने बयानों में कथन किया कि विवादित आराजी ख.नं. 1464/1348 बांके ग्राम सिंघावली खुर्द में तत्कालीन पटवारी द्वारा आदेश कमांक/एलआर/56–57 दिनांक 11.01.2019 श्रीमान तहसीलदार साहब राजाखेडा की पालना में ख.नं. 1464/1348 बांके ग्राम सिंघावली खुर्द पहुंचा। मौके पर ख.नं. 1464/1348 से लगभग 9 फुट मिट्टी खोदी जा चुकी है। उक्त ख.नं. के खातेदार प्रतापसिंह पुत्र फतेसिंह जाति राजपूत निवासी सिंघावली खुर्द को पूछा तो उसके द्वारा बताया गया कि उक्त मिट्टी ईंट थपाई कार्य हेतु काम में ली गई है। उक्त ख.नं. पर वर्तमान में खाली पडी है। कृषि कार्य में ली जा रही है। वर्तमान में सरसो के सरकन्डे खडे हैं। पीडब्ल्यू 2 विनोदपुरी आईएलआर राजाखेडा नं. 01 के बयान करवाये, अपने बयानों में कथन किया कि विवादित आराजी ख.नं. 1464/1348 बांके ग्राम सिंघावलीखुर्द में तत्कालीन पटवारी द्वारा आदेश कमांक/एलआर/56–57 दिनांक 11.01.2019 श्रीमान तहसीलदार साहब राजाखेडा की पालना में ख.नं. 1464/1348 बांके ग्राम सिंघावली खुर्द पहुंचा। मौके पर ख.नं. 1464/1348 से लगभग 9 फुट

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेडा

मिट्टी खोदी जा चुकी है। उक्त ख.नं. के खातेदार प्रतापसिंह पुत्र फतेसिंह जाति राजपूत निवासी सिंघावली खुर्द को पूछा तो उसके द्वारा बताया गया कि उक्त मिट्टी ईंट थपाई कार्य हेतु काम में ली गई है। उक्त ख.नं. पर वर्तमान में खाली पडी है। कृषि कार्य में ली जा रही है। वर्तमान में फसलों के सरकन्डे खडे हैं।

पैरोकार सरकार के द्वारा पत्रावली में दिनांक 01.02.2023 को प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मौखिक बहस में आरटीए 1955 की धारा 177 के तहत खातेदार को शर्त उल्लंघन को दोषी ठहराते हुए उसके खातेदारी अधिकारों का पर्यवसन करते हुए उक्त भूमि पुर्नग्रहित की जाकर सिवायचक घोषित किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा के प्रार्थना–पत्र, दिनांक 24.01.2019 की पटवारी व आईएलआर की मौका रिपोर्ट, नक्शा अक्श, जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073, खसरा गिरदावरी सम्बत् 2070–2073, पीडब्ल्यू 1 श्री रविन्द्र सिंह भगौर पटवारी प0ह0 सिंघावली कलां, पीडब्ल्यू 2 श्री विनोदपुरी आईएलआर राजाखेडा नं. 01 के बयान का अध्ययन, मनन, अवलोकन किया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 हानिप्रद कार्य या शर्त भंग के कारण बेदखली का प्रावधान करती है। अभिधारी भूमिधारी के आवेदन पत्र पर निम्नांकित आधारों पर भूमि क्षेत्र से बेदखल किया जा सकेगा।

(क) किसी ऐसे कार्य के करने या न करने की भूल के आधार पर जो उस भूमि क्षेत्र की भूमि के लिए हानिप्रद हो या उस प्रयोजन की असंगति में हो जिसके लिए उक्त भूमि क्षेत्र पट्टे पर दिया गया हो या

(ख) इस आधार पर कि उससे लेकर धारण करने वाले किसी व्यक्ति ने ऐसी शर्त भंग की है, जिसके भंग करने पर वह किसी ऐसे अनुबन्ध विशेष के अनुसार बेदखली किया जा सके, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के विपरीत नहीं है।

इस अध्याय के अन्तर्गत प्रत्येक आवेदन प्रत्येक आवेदन पत्र में अभिधारी के मार्फत स्वत्व का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति पक्षकार के रूप में शामिल किया जा सकेगा और जहां वाद का मूल कारण पूर्णतः या अंशतः अभिधारी के अन्तरिती या शिकमी पट्टाधारी द्वारा किये गये किसी कार्य या भूल या शर्त भंग पर आधारित हो, वहां उक्त अन्तरिती या शिकमी पट्टाधारी एक पक्षकार के रूप में शामिल किया जायेगा।

इस धारा के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिये जाने पर न्यायालय प्रतिपक्षी को एक नोटिस जारी करेगा। जिससे उसे ऐसी अवधि, जो नोटिस में निर्दिष्ट की जाय, के भीतर उपस्थित होने और इस बात का कि उसे भूमि क्षेत्र से बेदखल क्यों न कर दिया जाये, कारण बताने का आदेश होगा। यदि वह नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर उपस्थित होता है और बेदखल किये जाने के दायित्व का प्रतिवाद करता है तो न्यायालय, यथोचित न्यायालय शुल्क भुगतान किये जाने पर उस आवेदन पत्र को वादपत्र समझेगा और उस मामले में उसी प्रकार कार्यवाही करेगा। जिस प्रकार कि एक वाद में परन्तु सीधे राज्य सरकार से लेकर धारण की गई भूमि की दशा में, तहसीलदार द्वारा आवेदन पत्र दिये जाने पर कोई न्यायालय शुल्क देय नहीं होगा। यदि वह इस प्रकार उपस्थित नहीं होता है या यदि उपस्थित होता है। लेकिन बेदखल किय जाने के दायित्व का प्रतिवाद नहीं करता है तो न्यायालय आवेदन पत्र पर ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे।

शर्त भंग करने वाले व्यक्ति की स्थिति अतिकमी की सी होती है। कजा बनाम स्टेट, 1973 आर.आर.डी पेज 476 व्यक्तिशः काश्त करने की शर्त पर पट्टे पर दी गई भूमि में स्वयं द्वारा काश्त नहीं करना शर्त भंग करना है। जैसाराम बनाम प्रेमाराम 1958 आर.आर.डी पेज 171 नजीरे प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा होती है।

जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 खाता संख्या 97 ख.न. 1464/1348 रकबा 0.19 बिस्वा किस्म क. दो. प्रतापसिंह पुत्र फतेसिंह क़ौम राजपूत सा. खातेदार रहिन धौलपुर सह. भू. वि. बैंक शाखा राजाखेडा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। तहसीलदार राजाखेडा के आरटीए 1955 की धारा 177 के तहत दर्ज प्रार्थना–पत्र में उक्त ख.नं. की भूमि में से 5 बिस्वा भूमि पर उक्त खातेदार ने लगभग 9 फुट मिट्टी की खुदाई कर खनन कार्य कर शर्त को भंग किया है। उक्त खनन की गई मिट्टी ईंट थपाई के कार्य में उपयोग में ली गई है। चतुवर्षीय खसरा गिरदावरी सम्बत् 2070–2073 के सम्वत् 2073 में पडत मिट्टी खुदाई अंकित है। अप्रार्थी की विधिवत तामील होकर एक्स–पार्टी हुई है।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेडा

न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी खातेदार ने अपनी कृषि भूमि ख0न0 1464/1348 रकबा 0–19 बिस्वा किस्म क0दो0 में से 05 बिस्वा भूमि पर बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के 9 फुट मिट्टी का खुदाई कर खनन कार्य ईंट थपाई के उपयोग हेतु किया है। कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन कर शर्त को भंग कर अतिक्रमण किया है। अपने खातेदारी भूमि के अधिकारों का पर्यवसान कर दिया है। वाद ग्रस्त भूमि ख.नं. 1464/1348 ख.नं. 0–19 बिस्वा में से 05 बिस्वा भूमि को राज्य पक्ष में पुर्नग्रहित किया जाकर अप्रार्थी खातेदार को बेदखल किये जांने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त ख.नं. की 05 बिस्वा भूमि को सिवायचक घोषित किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 08.02.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(देवी सिंह)
उपखण्डाधिकारी, राजाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेडा